



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ०प्र०)
CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT (U.P.)
अभियन्त्रण विभाग
ENGINEERING SECTION

Ref. No.

Date 08.09.22

कार्यालय सूचना

भवन निर्माण एवं मरम्मत (सिविल/सैनेट्री/विद्युत) सम्बन्धी कार्यों के लिए नये प्रतिष्ठानों/ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित है। आवेदन पत्र का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 08-10-22 को अपरान्ह 4:00 बजे तक वित्त अधिकारी कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे।

(वित्त अधिकारी)
27

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
अभियन्त्रण विभाग



ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण सम्बन्धी नियमावली
अभियन्त्रण विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ – 250004

भाग-एक

पंजीकरण का उद्देश्य एवं विभिन्न प्रक्रिया इत्यादि

1. इस नियमावली का उद्देश्य मान्यता प्राप्त ऐसे ठेकेदारों की सूची तैयार करना एवं इनका रख-रखाव करना है, जो विभिन्न प्रकार एवं परिमाण के कार्यों को उचित समय पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार करने में सक्षम हो। इससे इन क्षेत्रों में सम्बन्धित पक्षकार यानि ठेकेदार को मान्यता प्राप्त होती है।
2. सूचीबद्ध ठेकेदारों को अनुमत्य सुविधाएं :-
 - i. सूचीबद्ध ठेकेदार अभियन्त्रण विभाग की पंजीकरण लिस्ट में रखे जाएंगे।
 - ii. अभियन्त्रण विभाग के कार्यों के लिए पंजीकृत एजेन्सी/ठेकेदार ही अहं होंगे।
 - iii. विशेष प्रकार के specialised work विशेषज्ञ फर्मों द्वारा ही कराया जायेगा।
3. प्रक्रिया
 - i. सूचीबद्धता के इच्छुक ठेकेदार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो निविदा सूचना में निर्धारित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन-पत्र वांछित शुल्क सहित अभियन्त्रण विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में जमा किए जा सकते हैं।
 - ii. आवेदन पत्र पर निर्णय से ठेकेदार को सीधे सक्षम अधिकारी द्वारा अवगत कराया जाएगा और प्रार्थना स्वीकार होने की स्थिति में ठेकेदार का नाम पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों की सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
4. सीमाएँ
 - i. उल्लिखित गुणों एवं वर्गों के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी प्रकार के एवं किसी भी परिमाण के कार्य, जो एक सूचीबद्ध ठेकेदार को सौंपे जा सकेंगे, हेतु सूचीबद्धता की यह सुविधा कराई जा रही है। यह सूचीबद्ध ठेकेदार के दूसरे वर्ग के कार्यों के लिए निविदा भरने में बाधक न होगा। बशर्ते वह कार्य उस वर्ग की लागत सीमा के अन्तर्गत हो, जिस हेतु वह

अधिकृत है। परन्तु उसकी निविदा की स्वीकृत से पूर्व उस कार्य से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र, जिसके लिए वह सूचीबद्ध है, जांचे जाएंगे।

ii. एक ठेकेदार एक ही मालिक की हैसियत से अधिक नाम या व्यापार तथा साझेदार की दशा में दो से अधिक नाम या व्यापार सूचीबद्ध नहीं करा सकता। परन्तु किसी प्रतिष्ठान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्यता चाहे वह सूचीबद्ध हो या न हो, इस नियम के अन्तर्गत बाधक नहीं होगी।

iii. एक ठेकेदार एक से अधिक ग्रुप में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है एवं आवेदन में विभिन्न ग्रुपों/विभिन्न वर्गों का उल्लेख कर सकता है।

5. नाम वापस लेना

i. सूचीबद्ध ठेकेदार पंजीकरण सूची से अपना नाम वापस लेने के लिए आवेदन कर सकता है एवं उक्त आवेदन की स्वीकृति के उपरान्त उसका नाम पंजीकरण सूची से निकाल दिया जायेगा। ठेकेदार ने जो स्थायी धरोहर धनराशि जमा की है तो वह कार्यालय से अदेयता/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त वापस कर दी जाएगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नाम वापस लेने का प्रार्थना पत्र देते समय ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही लम्बित हो तो ऐसी दशा में मामले के निस्तारण तक कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी।

ii. समस्त सुविधाएं एवं मान्यताएं जो ठेकेदार को प्राप्त हों, नाम वापस लेने पर समाप्त हो जाएंगी यदि उसके द्वारा पुनः पंजीकरण करने की प्रार्थना की जाती है तो इसे नए पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र माना जाएगा।

6. निलम्बन

i. किसी ठेकेदार, जिसके विरुद्ध निम्नांकित बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हो या धोखाधड़ी का आरोप हो, की सूचीबद्धता निलम्बित की जा सकती है और ऐसी दशा में उसे किसी भी कार्य के लिए निविदा देने की अनुमति तब तक न दी जाएगी जब तक उसके विरुद्ध लगे आरोपों की जांच नहीं हो जाती एवं वह आरोप मुक्त नहीं हो जाता :-

(क) स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा बार-बार दुराचरण।



- (ख) कार्य की असन्तोषजनक प्रगति के लगातार अथवा निरन्तर दृष्टान्त।
- (ग) ऋणग्रस्ताता में अभ्यस्ता होना।
- (घ) बाजार में दुर्नाम।
- (ङ) अपने मजदूरों एवं कर्मचारियों से दुर्यवहार एवं श्रम नियमों की अवहेलना।
- (च) नशे की हालत में कार्यस्थल में उपस्थित होना।
- (छ) निम्न स्तर का कार्य एवं सामग्री का प्रयोग करके गुणवत्ता की उपेक्षा करना।
- (ज) अक्रमबद्ध तरीके से कार्य करना।
- (झ) निर्गत की गई सामग्री का समायोजन समय से प्रस्तुत न करना।
- (ट) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अथवा अन्य सरकारी सामग्री का गबन या दुरुपयोग करना।
- (ठ) गोपनीयता भंग करके अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य स्त्रोतों तक सूचनाएं पहुँचाना।
- (ड) परिकल्पी बोली बोलना।
- (ढ) किसी क्रिमिनल केस में पुलिस द्वारा वांछित हो अथवा उस पर फौजदारी का कोर्ट केस चल रहा हो।

7. सूची से हटाया जाना

i. ऐसे ठेकेदार को जो

- (क) उपरोक्त पैरा 6 में से किसी दोष के लिए दोषी पाया जाय, अथवा
- (ख) आचरण की दृष्टता से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्डित हुआ हो, अथवा
- (ग) अभियन्त्रण विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या उसी के समानान्तर किसी अन्य अभियन्त्रण संस्था अथवा सरकारी विभागों द्वारा काली सूची में रखा या हो, अथवा
- (घ) निम्नलिखित पैरा 8 में निहित अयोग्यता में आता है पंजीकृत ठेकेदार की सूची से तुरन्त निकाल दिया जाएगा।
ऐसा आदेश करने वाला अधिकारी इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेगा कि वह निर्णय स्थाई है या किसी निश्चित काल के लिए उचित समझा गया है।
आदेश में अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा।
एक ठेकेदार जिसका नाम इस पैरा के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार की सूची

से हटा दिया गया हो या पैरा 6 के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया हो, किसी क्षतपूर्ति या हर्जाने का हकदार नहीं होगा।

8. अयोग्यता

- i. वह व्यक्ति/फर्म पंजीकरण हेतु अयोग्य होगा, यदि वह
(क) आचरण की दृष्टि से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्डित हो चुका हो अथवा उससे सम्बद्ध रहा हो।
(ख) दिवालिया हो गया हो एवं उससे छुटकारा न पा सका हो, अथवा
(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, अथवा
(घ) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अधीन लाभ का कोई पद ग्रहण किया हो, अथवा
(ङ) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो।

9. अपवाद

- i. नियमों अथवा विधि के किसी प्राविधान के होते हुए भी, पंजीकरण, निलम्बन एवं पंजीकरण सूची से हटाए जाने से सम्बन्धित मामलों के प्रत्यावेदनों कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को दिए जा सकते हैं तथा इनकी अपील सुनने का अधिकार माननीय कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को होगा। प्रारम्भिक रूप से ऐसे मामले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे।

10. छूट

- i. इसके पश्चात् इन नियमों में किसी बात के रहते हुए सक्षम अधिकारी पंजीकरण, निलम्बन एवं अग्रसारण के छूट से सम्बन्धित सभी मामलों में अपने उच्च अधिकारी को सूचित करेगा।



भाग-दो

ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं शुल्कों का निर्धारण

(क) निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु अभियन्त्रण विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में ठेकेदारों को निम्न के अनुसार वर्गीकृत किया गया है तथा उनकी हैसियत सीमा, जमानत राशि, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :-

(ख)(i) विभिन्न श्रेणी के सिविल निर्माण कार्यों के लिए अधिकतम निविदा सीमा निम्नवत् होगी :-

क्र०	श्रेणी	सी०
1	भवन एवं सड़क निर्माण तथा इससे सम्बन्धित वाटर सप्लाई, सीवर एवं अन्य कार्य।	रु० 40.00 लाख

(ख)(ii) विभिन्न श्रेणी के विद्युतीय कार्यों के लिए अधिकतम निविदा सीमा निम्नवत् होगी:-

क्र०	श्रेणी	सी०
1	विभिन्न श्रेणी के विद्युतीय कार्य	रु० 20.00 लाख

(ग)(i) विभिन्न श्रेणी के सिविल निर्माण के लिए धरोहर धनराशि, हैसियत, पंजीकरण शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क, निम्नवत् होगी :-

क्र०	श्रेणी	स्थायी धरोहर धनराशि	हैसियत	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
1	सी	रु० 1.00 लाख	5.00 लाख	रु० 5000.00 + जी०एस०टी०	रु० 2500.00 + जी०एस०टी०

(ग)(ii) विभिन्न श्रेणी के विद्युतीय कार्यों के लिए धरोहर धनराशि, हैसियत, पंजीकरण शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क, निम्नवत् होगी :-

क्र०	श्रेणी	स्थायी धरोहर धनराशि	हैसियत	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
1	सी	रु० 50 हजार	2 लाख	रु० 3000.00 + जी०एस०टी०	रु० 2000.00 + जी०एस०टी०

(घ) स्थायी धरोहर धनराशि

स्थायी धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ०डी०आर०, जिसकी वैधता न्यूनतम चार वर्ष की हो वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नाम बंधक होनी चाहिये।

- (च) कोई ठेकेदार जो किसी एक श्रेणी के लिए पंजीकृत है, यदि वह अपने ऊपर की श्रेणी में उच्चीकरण हेतु आवेदन करता है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा विगत 05 वर्षों के अनुभव एवं उनके कार्यकलापों को देखते हुए अधिकतम दो स्टेज उच्चीकरण अनुमन्य किया जा सकता है। दो स्टेज के माध्यम से अधिकतम 'ए' श्रेणी तक उच्चीकृत करने पर विचार किया जा सकता है। किसी भी श्रेणी से ऊपर की श्रेणी में पंजीकरण हेतु वर्तमान श्रेणी के अधिकतम लागत से दो-गुना कार्य अनुभव होना आवश्यक होगा। उच्चीकरण किये जाने की स्थिति में उच्चीकृत श्रेणी के लिए आवश्यक धरोहर धनराशि, हैसियत, पंजीकरण शुल्क इत्यादि नियमानुसार जमा करना होगा।

संस्था में अनुभव के अतिरिक्त ठेकेदार के द्वारा अन्य उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी विभाग के अनुभव भी मान्य होंगे।

- (छ) स्थाई धरोहर धनराशि के रूप में बैंक गारन्टी स्वीकार नहीं की जायेगी।

- (ज) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के ठेकेदारों तथा बेरोजगार इंजीनियर ठेकेदारों को पंजीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग की भांति हैसियत की धनराशि तथा स्थायी धरोहर धनराशि की निर्धारित सीमा में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

- (झ) पंजीकरण शुल्क

प्रथम पंजीकरण एवं मान्यता प्राप्त ठेकेदारों को आदेश की तिथि से 3 वर्ष के लिए लिस्ट में रखे जाने के लिए अधिकृत करता है तथा इसी अवधि में वे निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत होंगे। यदि निविदा आवंटित होने के पश्चात् निविदा निर्धारित अवधि में उनका पंजीकरण समाप्त हो जाता है तो नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।



(ट) नवीनीकरण शुल्क

यदि प्रथम पंजीकरण की अवधि समाप्त होने अथवा प्रत्येक नवीनीकरण के 03 वर्षों के पूर्व नवीनीकरण शुल्क सहित सादे कागज पर आवेदन नहीं किया जाता है तो अवधि समाप्त होने पर उसका पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा पुनः पंजीकरण हेतु नया आवेदन पत्र देना होगा। नवीनीकरण हेतु समाप्ति तिथि के दो माह पूर्व आवेदन देना होगा। नवीनीकरण शुल्क की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में जारी किया गया हो द्वारा देय होगी।

(उ) हैसियत प्रमाण पत्र

हैसियत (साल्वेंसी) निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी) से प्राप्त की जानी होगी। लोक निर्माण विभाग की भांति अनुसूचित जाति/जनजाति ठेकेदारों के लिए हैसियत में 50 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

(ड) चरित्र प्रमाण पत्र

आवेदक को जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। वर्तमान निवास का पता भी सत्यापित कराकर देना होगा।



भाग-तीन

पंजीकरण हेतु ठेकेदारों की योग्यता

(क)-अनुभव

श्रेणी	अनुभव
सी	05 कार्यों का अनुभव जिसमें प्रत्येक रु० 1.00 लाख के सन्तोषजनक के रूप में पूर्ण होने का प्रमाण पत्र अनुबन्ध नम्बर, लागत सहित अधिशासी अभियन्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत।

(ख) तकनीकी स्टॉफ

प्रत्येक श्रेणी हेतु निम्नानुसार तकनीकी स्टॉफ का होना आवश्यक है :-

श्रेणी	डिग्री/डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर
सी	1

टिप्पणी :-

- 10/- रूपये के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर देना होगा।
- श्रेणी सी के पास पर्याप्त मात्रा में तकनीकी स्टॉफ होने चाहिए जो भली-भांति मानचित्र पढ़ने में, कार्यों की प्लानिंग एवं सम्पादन में, निविदा निपुणता से भरने में, बिल बनाने में तथा कार्यों के पर्यवेक्षण में सक्षम हो।

(ग) विभिन्न श्रेणी हेतु आवश्यक मशीनरी, टूल्स एवं प्लान्ट्स :-

- निर्माण कार्यों पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूची :-
- टिप्पणी :- रु० 10/-के नाम जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर देना होगा।
- ठेकेदारों द्वारा अपने अनुभव का विवरण निम्नानुसार देना होगा :-

(घ) विगत तीन वर्षों में पूर्ण किये गये निर्माण कार्यों का विवरण :-

क्र०	विभाग का नाम	कार्य का नाम	लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि		हस्तान्तरण की तिथि	प्रमाण पत्र संलग्न की स्थिति
					अनुबन्ध	वास्तविक		



(च) निर्माणाधीन कार्यों का विवरण :-

क्र०	विभाग/खण्ड का नाम पता	कार्य का नाम	लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि		हस्तान्तरण की तिथि	प्रमाण पत्र संलग्न की स्थिति
					अनुबन्ध	वास्तविक		

1/2

mm

भाग-चार

अभियन्त्रण विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में नये प्रतिष्ठानों के

पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम एवं शर्तें

(क)(i) भवनों के निर्माण/मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु सी श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों निम्नानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु अधिकृत है :-

सी श्रेणी रु० 40.00 लाख तक

(क)(ii) विद्युतीय कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निम्नानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु अधिकृत है :-

सी श्रेणी रु० 20.00 लाख तक

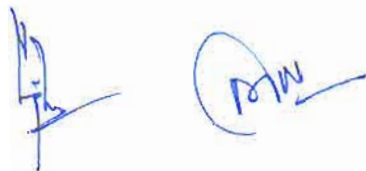
(ख) निर्माण/मरम्मत कार्यों पर भाग तीन-ख के अनुसार तकनीकी स्टॉफ रखना होगा।

(ग) निर्माण/मरम्मत कार्यों पर भाग तीन-ग के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल, खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा। यदि कोई मशीनरी विभाग द्वारा दी गयी है तो उसका किराया निर्धारित दरों पर बिल से काटा जाएगा।

(घ) ठेकेदारों को कार्य की अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत धनराशि अथवा जैसा भी निविदा सूचना में अंकित हो, की एफ०डी०आर० वित्त अधिकारी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पक्ष में बंधक हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा प्रपत्रों के साथ जमा कराना होगा।

(च) पंजीकृत ठेकेदारों को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, फिनिशिंग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को काली सूची में दर्ज करने, युक्तियुक्त अर्थदण्ड लगाने तथा निविदाओं में प्रतिभाग करने से रोक लगाने के अधिकार वित्त अधिकारी का होगा। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों की सूची को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

(छ) आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार (ब्लड रिलेशन) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, में कार्यरत नहीं है। ब्लड रिलेशन में पिता-पुत्र, भाई-बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्टकजिन, सास-ससुर, दामाद, बहनोई, पति-पत्नी, माता-मामी, मौसा, चचेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन आदि



शामिल है। यदि पंजीकरण के उपरान्त इसके विपरीत ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

- (ज) हैसियत प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी प्रारूप PWD T-5 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर देना होगा।
- (झ) आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप (लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी प्रारूप PWD T-4) पर एवं वर्तमान निवास स्थान का पता सत्यापित कराकर देना होगा।
- (ट) प्रमाण पत्रों के साथ चस्पा की जाने वाली फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी / नोटरी से प्रमाणित होनी चाहिए।
- (ठ) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी।
- (ड) पंजीकरण शुल्क संलग्न विवरण के अनुसार देय होगा। पंजीकरण तीन वर्ष हेतु मान्य होगा। पंजीकरण शुल्क की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट जो वित्त अधिकार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में जारी किया गया हो, द्वारा देय होगी।
- (ढ) वांछित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ न जमा करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का होगा।
- (त) पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में निहित है।
- (थ) पंजीकृत ठेकेदार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में भी समय-समय पर जारी किये गये आदेश मानने होंगे।
- (द) अधिकारी कैडर के किसी अभियन्ता अथवा अन्य अधिकारी जो अभियन्त्रण विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अभियन्त्रण या प्रशासनिक कार्यों से सेवामुक्त हो, को सेवा निवृत्त होने के दो वर्षों तक ठेकेदार के रूप में अथवा ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में अभियन्त्रण विभाग में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि पंजीकरण के बाद भी ऐसा व्यक्ति होना पाया जाता है तो उसका नाम मान्यता प्राप्त ठेकेदार की सूची से हटा दिया जाएगा।
- (ध) ठेकेदारों द्वारा आयकर विभाग में पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति तथा बैलेंस शीट देना होगा।
- (न) अभियन्त्रण विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पंजीकृत फर्मों का नवीनीकरण किये जाने या आगे की अवधि हेतु वैधता बढ़ाने के लिए फर्म



को गत वर्ष में किये गये भवन कार्यो निर्माण/मरम्मत कार्यो के संतोषजनक सम्पादन का प्रमाण पत्र देना होगा। उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र में किये गये कार्यो का संतोषजनक रूप से पूर्ण होने का उल्लेख होना चाहिए, जिसकी पुष्टि कराने के उपरान्त अभिलेखानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी, जो सभी श्रेणी के फर्मों पर मान्य होगी।

- (प) पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण तीन वर्ष के लिए किया जाएगा। लेकिन पंजीकरण समाप्त होने के एक माह पूर्व इस हेतु आवेदन समस्त प्रमाण पत्रों यथा चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा किये गये कार्यो का संतोषजनक रूप से पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पंजीकृत अवधि में किसी प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह बिना मांगे उक्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराकर प्रस्तुत करें अन्यथा विभाग द्वारा पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
- (फ) यदि कोई फर्म किन्ही कारणों से अभियन्त्रण विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा ब्लैक लिस्ट की जाती है तो उस फर्म का स्वामी या पार्टनर जो किसी अन्य फर्म का पार्टनर या स्वामी है तो वह फर्म भी स्वतः ही ब्लैकलिस्ट हो जायेगी।
- (ब) एक व्यक्ति एक ही फर्म में प्रोपराइटर अथवा साझीदार हो सकता है।
- (भ) राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता ठेकेदारी के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है। कार्य का अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे पंजीकरण/अनुबन्ध को अभियन्त्रण विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा संकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- (म) ऐसे व्यक्ति फर्म/कम्पनी जो किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते हैं, का पंजीकरण स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस श्रेणी के आवेदक पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- (य) वर्तमान में ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की जा चुकी है, अतः इस सम्बन्ध में इनके द्वारा जारी निदेशों के अनुसार कार्यवाही समस्त ठेकेदारों को करनी होगी। इसके अनुसार अन्य कार्यवाही के साथ-साथ डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित कार्यवाही भी करनी होगी।
- (र) प्राप्त आवेदन पत्र के साथ जमा किये गये प्रपत्रों के आधार पर उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में पंजीकरण कर दिया जायेगा। ठेकेदार द्वारा पंजीकरण फार्म के साथ जो प्रपत्र यथा चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण



पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, एफ०डी०आर० आदि जमा किये गये हैं। तदोपरान्त उक्त प्रपत्रों के सत्यापन में किसी भी प्रपत्र के किसी भी स्तर पर असत्य/फर्जी पाये जाने पर फर्म का पंजीयन स्वतः निरस्त समझा जायेगा। इस हेतु फर्म को रु० 100/-का नोटरी शपथ पत्र देना होगा।

- (ल) किसी भी विवाद की स्थिति में इसके निस्तारण का अधिकार माननीय कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को होगा तथा माननीय कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- (व) उक्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत किसी भी विवाद के निस्तारण का क्षेत्र अधिकार मेरठ स्थित न्यायालय होगा।
- (स) विद्युतीय कार्यों के सम्पादन हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय से निर्गत लाइसेंस धारक प्रतिष्ठान ही अर्ह होंगे।



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

अभियन्त्रण विभाग

सी-श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. नाम/फर्म.....
2. पूरा पता.....
.....
मो०नं०..... फोन नं०.....
ई-मेल..... आधार कार्ड सं०.....
3. स्वामित्व/पार्टनरशिप (प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्न-1)
4. स्टाफ की संख्या नाम व पते। (प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्न-2)
5. वितीय स्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र।
(प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्न-3)
6. पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र एवं सत्यापित
निवास स्थान का पता। (प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्न-4)
7. दो नवीनतम प्रमाणित फोटो संलग्न करनी होगी। (समस्त भागीदारों की)
तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति। (प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्न-5)
8. आयकर विभाग से पिछले वितीय वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति एवं बैलेंस
शीट, पैन नं० की छायाप्रति। (प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्न-6)
9. वाणिज्यकर विभाग द्वारा जी०एस०टी० नम्बर की छायाप्रति। (प्रतिलिपि
संलग्न करें) (संलग्न-7)
10. विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें। (केवल विद्युतीय
कार्यों हेतु आवश्यक) (संलग्नक-8)
11. पी०एफ० रजिस्ट्रेशन। (यदि उपलब्ध है तो प्रतिलिपि संलग्न करें)
12. इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट
का रिश्तेदार/ब्लड रिलेशन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कार्यरत
नहीं है। (शपथ पत्र संलग्न करें) (संलग्नक-9)
13. रु० 100.00 के स्टैम्प पेपर पर सत्यापित स्वघोषणा पत्र। (शपथ पत्र संलग्न
करें) (संलग्नक-10)



14. निर्माण/मरम्मत/अनुरक्षण कार
संलग्न करें) (संलग्नक-11)
15. पिछले तीन वर्षों में किये गये भवन निर्माण/मरम्मत कार्यों के विवरण की
सूची। (सूची संलग्न करें) (संलग्नक-12)
16. निर्माणाधीन कार्यों की सूची। (सूची संलग्न करें) (संलग्नक-13)
17. सभी अनुभव प्रमाण पत्र। (सूची संलग्न करें) (संलग्नक-14)
18. डिग्री/डिप्लोमा होल्डर अभियन्ता की डिग्री/डिप्लोमा की प्रमाणित
प्रतिलिपि। (संलग्नक-15)
19. पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत
करना होगा। (प्रमाण पत्र संलग्न करें) (संलग्नक-16)
20. अन्य आवश्यक संलग्नक यदि जमा किया गया है उसका उल्लेख करें।



महत्वपूर्ण टिप्पणी

1. आवेदन पत्र दो प्रतियों में जमा होना चाहिए।
2. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिए।
3. एक से अधिक ग्रुप में पंजीकरण हेतु अलग-अलग प्रपत्रों पर आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए।
4. आवेदन पत्र के साथ अन्तिम वर्ष का आयकर क्लियरैन्स प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। बिना आयकर क्लियरैन्स प्रमाण पत्र दिए पंजीकरण नहीं किया जायेगा।

